पत्र सं0-वैट/विधि-1(1)परिपत्र भाग-2-(09-10)204/ 0910017 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

(वैट अनुभाग)

दिनांक::लखनऊ:: जून 04 ,2009

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय से इस आशय के निर्देश परिपत्र पत्र सं0-वैट-परिपत्र भाग-2-(08-09)-289(कैम्प)/0809076/वाणिज्य कर दिनांक 01-11-2008 द्वारा जारी किये गये थे कि जिन व्यापारियों द्वारा सभी प्रकार से पंजीयन हेतु पूर्ण प्रार्थना पत्र संलग्नकों सहित प्राप्त करा दिये गये हैं और बायोमैट्रिक हेतु स्वामी/पार्टनर/डायरेक्टर/अथराइज्ड सिगनेटरी में से कोई एक व्यक्ति पंजीयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है तो उसका बायोमैट्रिक कराकर अविलम्ब पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाये।

मुख्यालय पर इस आशय की शिकायतें निरंतर प्राप्त हो रही है कि पंजीयन के संबंध में उपरोक्त स्पष्ट व्यवस्था होने के बाबजूद अभी तक पुराने व्यापारियों को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी नहीं किये गये हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि ऐसे पुराने व्यापारियों के संबंधमें जिनके द्वारा फार्म-7 एवं 8 विभाग में दाखिल किये गये हैं उनके स्वामी/पार्टनर/डायरेक्टर/अथराइज्ड सिगनेटरी में से कोई एक व्यक्ति भी पंजीयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है तो उक्त कार्यवाही उसी दिन पूर्ण करके नियमानुसार पंजीयन प्रमाण पत्र (रुप पत्र-11) अविलम्ब जारी कर दिया जाय और इस व्यवस्था को अभियान के रुप में चलाया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि 30 जून,2009 तक व्यापार कर के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे समस्त व्यापारियों को पंजीयन प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी कर दिये गये हैं जिनके द्वारा विभाग में फार्म-7 एवं 8 दाखिल किये गये हैं।

इस संबंध में अनुपालन पूर्ण कराते हुए संलग्न प्रारुप में सूचना भी दिनांक 05-07-2009 तक मुख्यालय उपलब्ध कराई जाए।

संलग्नक:यथोपरि।

(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

जोन का नाम	व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारियों की संख्या जिनके द्वारा प्रारुप 7 व 8 में सूचना दाखिल कर दी गयी है।	स्तम्भ-2 में से ऐसे मामलों की संख्या जिनके प्रारुप 7 व 8 की feeding की जा चुकी है।	स्तम्भ-3 के ऐसे मामलों की संख्या जिनमे प्रारुप -11 में पंजीयन प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया है	प्रारुप 7 व 8 की feeding किये गये मामलों की संख्या जिनमे प्रारुप -11 में पंजीयन प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया गया।	प्रारुप 7 व 8 की feeding न होने वाले मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6